न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)

दायर दिनांक 06.08.2025

प्रकरण संख्या/143/2025 वाद

उनवान

1. मु0 सोसर पत्नी मांग्या जाति चमार आयु वयस्क निवासी जयसिंहपुरा हाल मुकाम सिन्धिया का खेडा तह0 कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. मु0 शंकरी पिता मांग्या जाति चमार आयु वयस्क निवासी जयसिंहपुरा हाल मुकाम खात्याखेडी तह0 कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

1. लेहरिया पिता घीसा जाति चमार आयु वयस्क निवासी जयसिंहपुरा मृत्तक के बजाय–
   1/1– परथु पिता लेहरिया जाति चमार आयु वयस्क निवासी जयसिंहपुरा तह0 कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
   1/2– खेमी बेवा लेहरिया जाति चमार आयु वयस्क निवासी जयसिंहपुरा तह0 कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
   1/3– शंकर पिता लेहरिया जाति चमार आयु वयस्क निवासी जयसिंहपुरा तह0 कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
   1/4– राजु पिता लेहरिया जाति चमार आयु वयस्क निवासी जयसिंहपुरा तह0 कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
   1/5– केसर पिता लेहरिया बैरवा (जटिया) आयु वयस्क निवासी जयसिंहपुरा तह0 कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. तहसीलदार तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार बापना
एकतरफा

–वादीगण
–प्रतिवादी सं0 1/1 से 1/5

–: वाद पत्र अन्तर्गत 53, 88 आर.टी.एक्ट :–

निर्णय दिनांकः 30.10.2025

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि मौजा जयसिंहपुरा तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में आ0नं0 408, 409, 410, 411, 412, 414, 415 कुल किता 7 बीघा छः बिस्वा स्थित है सम्वत 2019 से 2022 की जमाबन्दी में वादी सं0 1 सोसर के पति मांग्या तथा वादी सं0 2 शंकरी के पिता मांग्या के नाम पर तथा मांग्या के भाई लेहरिया के नाम पर रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज है। मांग्या व लेहरू दोनो सगे भाई है और मांग्या की मृत्यु हो जाने से लेहरिया ने रेवेन्यु कर्मचारियों ने मिलकर उसके वारीसान मुझ वादी सं0 1 व वादी सं0 2 का नाम बताये बिना ही चुपचाप अपने नाम पर करा ली जबकि हम वादीगण का उक्त आराजीयात में बराबर का हिस्सा है इन्तकाल खुलवाया उसकी हमारे का जानकारी नहीं है न ग्राम पंचायत हिंगोरिया ने कोई सुचना दी न किसी से कोई जानकारी ली और मनमकसूद लेहरिया प्रतिवादी सं0 1 के नाम पर दर्ज कर दी जो अंकन बिल्कुल गलत है दुरूस्ती योग्य है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

यह कि उक्त आराजीयात के वर्तमान नम्बर 762, 765, 740, 744, 776, 748, 753, 757, 763, 764 कुल किता 10 रकबा 3.92 हैक्ट0 स्थित है जो लेहरू उर्फ लेहरिया पिता घीसा चमार के रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज है जो गलत है मुझ वादी सं0 1 सोसर के पति व वादी सं0 2 मु0 शंकरी का नाम रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज नही है जबकि मौके पर कब्जा शामलाती है व लगान शामिल में अदा करते है प्रतिवादी लेहरू उर्फ लेहरिया मुझ वादी सं0 1 सोसर का देवर तथा वादी सं0 2 शंकरी का काका लगता है जिससे हमने इतने दिनो उक्त पर विश्वास किया और यह समझा कि जमीन हमारे नाम पर दर्ज होगी लगभग 4–5 साल पहले जब हमने प्रतिवादी लेहरू से पूछा की जमीन अकेले अपने नाम पर कैसे करा ली तो विवाद करने लगा और कहने पर कहा कि मैं तुम्हारा हिस्सा नही ले रहा हूँ तुम अपना हिस्सा अपने नाम पर करा लेना हमने कई बार प्रतिवादीगण सं0 1 को उक्त जमीन हमारे नाम पर दर्ज कराने व जमीन का बंटवाडा करा रेवेन्यु रेकार्ड में हमारे नाम पर दर्ज कराने हेतु कई बार कहा तो आना कानी की जिससे बिनाय दावा पैदा हुई अन्तिम बार दिनांक 01/02/2013 को प्रतिवादी द्वारा इन्कार कर देने से वादकारण पैदा हुआ।

यह कि घोषणा कराई जावे कि उक्त वर्णित वादपत्र की कलम सं0 1 व 2 में वर्णित आराजीयात के आधे हिस्से की हम वादीगण हकदार है और अपने नाम पर रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है इस अमर की घोषणा की जावें और कुलिया जमीन का बंटवाडा कराया जाकर आधी जमीन का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रेवेन्यु रेकार्ड में उसी अनुसार अंकन कराया जावें।

अन्त में निवेदन किया कि मौजा जयसिंहपुरा की वादपत्र की कलम सं 1 व 2 में वर्णित आराजीयात वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें व इसी अनुसार रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज किया जावें। उक्त वादपत्र की कॉलम सं0 2 में वर्णित आराजीयात का बंटवाडा कराया जाकर मिट्स एण्ड बाण्डस में आधी जमीन का मौके पर नपती करा कब्जा दिलाया जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी सं0 1/1 से 1/5 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं होने से पूर्व में दिनांक 15.06.2022 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। साक्ष्यवादी में वादीया शंकरी का शपथ पत्र प्रस्तुत जो शा0फा0 है। बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने. वादपत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। हमने सम्पूर्ण पत्रावली अवलोकन किया। की गयी बहस पर मनन किया। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। वकील वादीगण व वादीगण द्वारा उक्त वादपत्र के समर्थन एवं पुष्टि में किसी प्रकार का कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे वादपत्र की पुष्टि की जा सके।

अतः वादीगण अपना वादपत्र सिद्ध कराने में असमर्थ रहे है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मणीलाल तीरगर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) कपासन

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) कपासन